फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2024/87 बअनवान अनिता बनाम विनोदसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत 111, 128 सपठित धारा 131, 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विरमदेव सिंह को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समयावसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नही किये जाने से अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब का अवसर बंद करते हुये उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता के द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थीया ने ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 624 के खातेदार बाबुलाल वल्द खंगारजी से दिनांक 28.4.2008 को जरिये पंजिबद्ध विक्रय विलेख के 1.60 हैक्टर भूमि खरीद की गई। भूमि खरीद के बाद नामान्तरकरण प्रार्थीया के पक्ष में स्वीकृत कर प्रार्थीया के खरीदसुदा भूमि के नक्शे में तरमीम करते हुये बटा नंबर 624/2 रकबा 1.60 हैक्टर अंकन करते हुये प्रार्थीया को पटवारी हल्का द्वारा नक्शे की प्रति पी–35 भी जारी कर मौके पर कब्जा सुपूर्द किया गया। प्रार्थीया वक्त खरीद से पी–35 क्रमांक/88 दिनांक 21.03.2009 तरमीमसुदा नक्शे अनुसार मौके पर काबिज है परंतु वर्तमान नक्शे में अप्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नंबर 547मी रकबा 0.70 हैक्टर भूमि की नक्शे में गलत तरमीम करते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 547/2 की गलत तरमीम प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि में पटवारी हल्का के द्वारा कर दी गई। जबकि प्रार्थीया वक्त खरीद से पी–35 में जारी तरमीमसुदा नक्शे के अनुसार मौके पर आदिनांक तक काबिज काश्त है। प्रार्थीया ने खरीदसुदा भूमि पर बेरा खुदवाया तथा उस पर 5 एचपी का विद्युत कनेक्शन लेकन दो कमरो का निर्माण भी करवाया है। अप्रार्थीगण के खरीदसुदा भूमि की नक्शे में दोषपूर्ण रूप से तरमीम करने तथा उसके अनुसार कम्प्युटराईज्ड ऑनलाईन नक्शा में भी त्रुटिपूर्ण स्थिति वर्णित करने से अप्रार्थीगण प्रार्थीया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर आमादा है जिससे पत्थरगडी कर नक्शे में तरमीम शुद्धि किये जाने की दलील दी गई। दलीलो के समर्थन में लिखित बहस भी पेश की गई तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया को जारी पी–35 क्रमांक/88 दिनांक 21.03.2009 तरमीमसुदा नक्शे की प्रति एवं अप्रार्थीगण द्वारा खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 547/2 रकबा 0.70 हैक्टर की जमांबदी की प्रति, नक्शे की प्रति तथा प्रार्थीया के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 624/2 वर्तमान ऑनलाईन नक्शे की प्रति भी पेश की गई। इसके साथ ही पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा दिनांक 03.01.2024 को तैयार की गई मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की फोटोकॉपी भी पेश की गई तथा जीपीएस से निकाले गये मौके की स्थिति के नक्शे की प्रतियां भी पेश की गई। तथा इन प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार कर नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी। उपस्थित अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थीया ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो तथ्यो को छिपाते हुये पेश किया है। अप्रार्थीगण अपनी खरीदसुदा भूमि 547/2 रकबा 0.70 हैक्टर में मौके पर पटवारी हल्का द्वारा नक्शे में की तरमीम के अनुसार काबिज है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होने पर न्यायायल अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली द्वारा मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा दिनांक 03.01.2024 को रिपोर्ट	

अतिरिक्त कलेक्टर एवं पदेन ... अधिकारी, पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

तैयार की गई। जिस रिपोर्ट के अनुसार–

1. खसरा नंबर 547 व 624 के खातेदारों के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नही है। जिसका कब्जा काश्त व तरमीम अनुसार नक्शा संलग्न पेश है।
2. खसरा नंबर 547 व 624 के खातेदारों के खातेदारी रकबा अनुसार की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण है।
3. खसरा नंबर 547/2 की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 547/2 का कुछ हिस्सा गंगा सिंघल पत्नि मोहन सिंघल द्वारा निर्मित पक्की खेत तलाई में आता है तथा कुछ हिस्से में गै. मु. वाला निकल रहा है तथा कुछ हिस्से में अनिता पत्नी मांगीलाल का कब्जा काश्त है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा खरीद की गंई भूमि के मूल आंवटी वागा/कसा का आजदिनांक तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। तथा खसरा नंबर 547/2 की की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण है।
4. यह है कि खसरा नबर 547/1, 547/2 व 624/2 के हिस्से में मौके पर पूर्व से वर्ष 2009 से अनिता पत्नि मांगीलाल का कब्जा काश्त है। जिसके मौके पर दो पक्के कमरे व एक पानी का हौद बना हुआ है। प्रार्थीया पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा जारी पी–35 क्रमांक/88 दिनांक 21.03.2009 तरमीम सुदा नक्शा अनुसार वर्ष 2009 से आदिनांक तक मौके पर काबिज है।
5. यह है कि प्रार्थीया अनिता पत्नी मांगीलाल को जारी पी–35 क्रमांक/88 दिनांक 21.03.2009 तरमीम सुदा नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम दर्ज नही है।

   इस तथ्य की पुष्टि प्रार्थीया द्वारा जीपीएस द्वारा निकाले गये पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे से भी होती है।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीया अनिता पत्नि मांगीलाल को पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा जारी पी–35 क्रमांक/88 दिनांक 21.03.2009 तरमीम सुदा नक्शा अनुसार वर्ष 2009 से आदिनांक तक मौके पर काबिज काश्त रहते हुये अप्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 547/2 रकबा 0.70 हैक्टर की तरमीम नक्शे में पटवारी हल्का द्वारा मौका स्थिति के विपरित दर्ज की जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खरीदसुदा खातेदारी भूमि ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 624/2 रकबा 1.60 हैक्टर की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत **अप्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 547/2 की पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका स्थिति के विपरित तरमीम एवं वर्तमान कम्प्युटराईज्ड नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम को शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली पटवारी हल्का भीटवाडा व निरीक्षक भू–अभिलेख मौखमपुरा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नबर 624/2 रकबा 1.60 हैक्टर की पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा जारी पी–35 क्रमांक/88 दिनांक 21.03.2009 तरमीम सुदा नक्शा अनुसार तरमीम शुद्धि कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली, पटवारी हल्का भीटवाडा तथा निरीक्षक भू.अ. मौखमपुरा को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner